

UPBN240019272026



Criminal Misc. Cases/56/2026(Delivered on 25-06-2026)

Presented on : 04-06-2026

Registered on : 04-06-2026

Decided on : 25-06-2026

Duration : 0 years, 0 months, 21 days

न्यायालयः:न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद-बदायूँ।

फौजदारी वाद संख्या- 56/2026

अब्दुल रज्जाक बनाम रहीस अहमद आदि

अन्तर्गत धारा:-173(4) भा०न०सु०सं०।

थाना-मुजरिया, जिला-बदायूँ।

25.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हासिये पर इस आशय की टिप्पणी दाखिल की गयी है कि **"बल नहीं देना है।"**

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विपक्षीगण रहीस अहमद आदि के विरुद्ध संस्थित किया गया था। चूंकि अब वह स्वयं अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर बल देना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(हरेन्द्र सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सहसवान, जनपद बदायूँ।

J.O.CODE. UP3676